

अधीक्षक, मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह  
जामडोली केम्बे के सामने आगरा रोड जयपुर

क्रमांक

दिनांक

ई निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों की निम्न सेवा के लिये ई निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	अमानत राशि	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा/अपलोड करने की अन्तिम दिनांक	ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	7/2017 18	लगभग 200 मानसिक विमदित आवासियों की 24 घन्टे देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिंग का कार्य	12 माह लगभग	7000000/-	140000/-	20.02.2017 को 3.00 PM तक डाउन लोड एवं 4:00 PM तक अपलोड कराने की तिथि	दिनांक 21.02.2017 को 11.00 AM पर खोली जायेगी	400/-

निविदा संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> व राज्य उपापन पोर्टल [SPPP.rajasthan.gov.in](http://SPPP.rajasthan.gov.in) तथा विभागीय वेबसाईड [sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in), पर देखा जा सकता है।

अधीक्षक

मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह  
जामडोली जयपुर

दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र व राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसका परिचालन 50,000 प्रतियां या उससे अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित कराने का श्रम करें।
- श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन जयपुर।
- श्रीमान् उपनिदेशक, जयपुर (शहर), जयपुर।
- प्रबंधक आर.आई.एस.एल. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर निविदा प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
- ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड [sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in), अपलोड करवाने का श्रम करें।
- प्रोग्रामर निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर एवं [SPPP.rajasthan.gov.in](http://SPPP.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
- नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय **SJE/SAP**
- कार्यालय नोटिस बोर्ड

अधीक्षक

मानसिक विमदित बाल कल्याण पुनर्वास गृह  
जामडोली जयपुर

परिशिष्ट-अ

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह  
विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली, जयपुर

तकनीकी बिड़(स्टेज-I)

1. विषय: जॉब बेसिस पर विमंदित बालको एवं महिलाओं की देखभाल का कार्य करने के लिये केयर टेकर उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र।
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता.....
3. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर .....
4. निविदा दाता का ईमेल एड्रेस:- .....
5. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक- 07/2017-18 दिनांक
6. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 07/2017-18 दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण:-

क्र.सं	प्रमाण पत्र का प्रकार	हो या नहीं	जारी होने की तिथि / वैधता
1	ई-टेंडर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 400/- जमा कराने का पोस्टल आर्डर नं. / डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/ बैंकर चैक नम्बर.....दिनांक.....राशि रूपये..... प्रस्तुत किये जाने का विवरण		अवधि/ बैंक का विवरण
2	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रु. 1000/- जमा कराने का पोस्टल आर्डर नं. डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/ बैंकर चैक नम्बर.....दिनांक..... राशि रूपये..... प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
3	सूचना में अंकित अमानत राशि राशि रु. 140000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/ बैंकर चैक नम्बर.....दिनांक.....राशि रूपये..... का विवरण		
4	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र		
5	वित्तीय क्षमता संबंधित दस्तावेज		
6	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र		
7	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र		
8	पैन कार्ड (आय कर)		
9	परिशिष्ट-द घोषणा पत्र		

10.	पी एफ पंजीयन प्रमाण पत्र
11.	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र

8. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

9. हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

10. निविदा शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से ) निर्धारित अवधि तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में जमा होने की स्थिति में ही ई-निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे तथा उक्त डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

नोट:-1.उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं उसके आगे हों या नहीं ,उसके जारी होने की तिथि/वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

2. निविदा भरने की प्रक्रिया:-

- (ए) परिशिष्ट "अ" तकनीकी विड है तकनीकी विड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ""स" एवं "द" प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।
- (बी) परिशिष्ट "ब"प्राईस बिड है तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।
- (स) तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें।

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह  
विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली, जयपुर

निविदा प्रपत्र –प्राईस बिड़(स्टेज-II)

- विषय: जॉब बेसिस पर विमंदित बालको एवं महिलाओं की देखभाल का कार्य करने के लिये केयर टेकर उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र।
- निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता.....  
.....  
.....
- निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर .....
- निविदा दाता का ईमेल एड्रेस:- .....
- सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक- 07/2017-18 दिनांक
- आवासीयों के देखभाल के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है:-

वर्ग का विवरण	कुल मासिक दर प्रति केयर टेकर किया जाएगा (दर- ESI, P.F., SERTAX एवं अनुसंगिक प्रभारों के नियंत्रण सहित)
<p>जगमग 200(40 प्रोफाउण्ड तथा 160 अन्य श्रमियों के) मानसिक विमंदित आवासियों को 24 घण्टे (दैनिक मारियो में) देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिंग का कार्य हेतु।</p>	<p>प्रत्येक कामिक के लिये)प्रतिमाह</p> <p>प्रकार</p> <p>रकम रु</p> <p>संविदा नम्बर</p> <p>संविदा समारंभ</p> <p>अन्य अनुसंगिक प्रभार.....</p> <p>कुल राशि रूपये</p> <p>अको में.....</p> <p>शब्दों में.....</p>

7(i)दरे शब्दो एवं अंको में दोनो रूप मे स्पष्ट लिखी जावें दरो में कोई त्रुटि एवं ऑवर राईटिंग नही होवे।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे :-टैक्स पेड, कर सहित,एज एपलिकेवल का प्रयोग नही किया जावें।

(iii)दर एवं टैक्स का अलग अलग उल्लेख किया जावें।

(iv)दरें ई -टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट BOQ मे ही दी जावे।

**8.निविदा भरने की प्रक्रिया:-**(ए) परिशिष्ट "अ" तकनीकी बिड है तकनीकी बिड क साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ""स" एवं "द" प्रत्येक पृष्ठ डिजीटल हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत करे।

(बी) परिशिष्ट "ब"प्राईस बिड है तकनीकी बिड के योग्य निविदादाताओं की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।

**(सी) प्राईस बिड को भरने हेतु परिशिष्ट "अ""ब""स" एवं "द"की शर्तो को ध्यान में रखे।**

किसी भी शर्त की अवहेलना पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(डी)परिशिष्ट बिड में के बिडिंग -

नं. 6 की पूर्ण पालना की जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

## परिशिष्ट-“स”

### खुली निविदा लिए निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

टिप्पणी:- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में बेवसाइड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिये ।

- 1 निविदा भरने की प्रक्रिया :- परिशिष्ट-“अ एवं ब” तथा निविदा की विस्तृत शर्तों के अनुसार भरी जावे।
- 2 निविदा हेतु योग्यता:- निविदा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या संस्था द्वारा भरी जा सकती है। फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
- 3 फर्म को किसी राजकीय संस्था में बालक, बालिकाओं / व्यक्तियों के क्षेत्र में केयर टेकर/अटेंडेंट आपूर्ति करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां ) उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। केवल कार्यदेश मान्य नहीं होंगे।
- 4 आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) एवं श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5 पी.एफ./ई एस.आई./सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां ) उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6 दरे:- निविदादाता द्वारा दरे उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये। इसमें कोई त्रुटि एवं ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उस पर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। शब्दों एवं अंकों में अंकित दर में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दर को अधिकृत मान कर गणना में शामिल किया जायेगा।
- 7 निविदा में दर अंकित करते समय PE/ESI/ST अलग से अंकित की जावें व इनकी राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे।
- 8 निविदा की विधि मान्यता:- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार समिति को होगा।
- 9 व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 10 निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
- 11 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी साख्तान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नहीं देगा।
- 12 निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
- 13 केयर टेकर का कार्य:- विमंदिता महिलाओं एवं बालकों की केयर टेकिंग के कार्य से उनकी समस्त प्रकार की देखभाल अभिप्रेत है यथा -दैनिक दिनचर्या पूरी करवाना, शौच करवाना, स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, चाय-नाश्ता, भोजन करवाना, उनके बिस्तर एवं वस्त्रों की पूर्ण देखभाल करना, बीमार होने पर अस्पताल में दिखाने के लिये नर्सिंग/डॉक्टर, के साथ जाना, अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी अस्पताल में केयरटेकिंग करना एवं अन्य केयरटेकिंग का कार्य जो अधीक्षक द्वारा निर्देशित किये जावें आदि सम्मिलित है।
- 14 उक्त निविदा लगभग 200 मानसिक विमंदिता आवासियों की 24 घन्टे देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिंग का कार्य कराने हेतु है। जिसमें लगभग 40 प्रोफाउण्ड श्रेणी के तथा 160 अन्य श्रेणी के मानसिक विमंदिता आवासी है। जिनके संख्या में घटत बढत होती रहती है। महिला विंग के लिये महिलाये तथा पुरुष विंग के लिये पुरुष केयर टेकर से केयर टेकिंग का कार्य कराना होगा।

15. राजस्थान मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालन नियम, 2015 के नियम 6 के उपनियम 8 के अनुसार आवासियों की निर्धारित संख्या पर निर्धारित संख्या में केयर टेकर से केयर टेकिंग का कार्य करवाना होगा। उक्त नियमानुसार 5 प्रोफाउण्ड श्रेणी (अतिगम्भीर मानसिक रोगी ) के आवासियों पर न्यूनतम एक प्रति पारी तथा 10 सामान्य मानसिक विमंदितों पर न्यूनतम एक प्रति पारी केयर टेकर का होने का प्रावधान है।
16. केयर टेकर द्वारा केयर टेकिंग का कार्य 24 घण्टे करना होगा। प्रातः दोपहर एवं रात्रि की पारियों में कार्य करना होगा। मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में आवासियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है अतः संख्या के अनुसार केयर टेकरों उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
17. संस्था में आवासियों की केयर टेकिंग के कार्य में किसी भी दिन अवकाश नहीं होगा। केयर टेकिंग कार्य करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हो तथा पूर्ण स्वरथ हो एवं वर्णित कार्य करने में सक्षम हो।
18. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की केयर टेकिंग का कार्य करते समय किसी कारण वश यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है या कार्मिक को किसी भी रूप में शारीरिक क्षति हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देना का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
19. निविदादाता फर्म ठेके की अवधि में आवश्यकता अनुसार संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है या फर्म/संवेदक इस अवधि में देखभाल का कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर देखभाल कराने में राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय भासिक विल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। लाभ की स्थिति में संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।
20. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी के पास उपलब्ध रजिस्टर/वायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व केयर टेकिंग का कार्य करने वाले कार्मिकों के निवास /स्थायी पते का पूर्ण विवरण मय फोटो प्रस्तुत करना होगा एवं अपने कार्मिकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। नियुक्त कार्मिकों का पुलिस वरिफिकेशन करा कर देना होगा। इस के अभाव में भुगतान देय नहीं होगा।
21. केयर टेकिंग का कार्य करने वाले कार्मिकों को आसमानी रंग का एप्रिन पहनाना अनिवार्य होगा। एप्रिन फर्म को उपलब्ध कराना होगा। जिस पर संवेदक फर्म का नाम लिखा होगा।
22. सन्तोषजनक कार्य नहीं करने वाले केयर टेकर अधीक्षक के आदेश पर बदलने होंगे, यदि किसी केयर टेकर से लापरवाही होती है तो फर्म संवेदक पूर्ण जिम्मेदार होगी।
23. उपलब्ध कराये गये केयर टेकर पर प्रशासनिक नियन्त्रण कार्यालय अध्यक्ष/अधीक्षक का होगा।
24. **अमानत राशि**—निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ निविदा सूचना में अंकित मात्रा अनुसार निर्धारित रूप में अमानत राशि जमा करवाई जायेगी। अमानत राशि क बिना प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदादाता को अनुमानित लागत रु 70,00,000/- का 2 प्रतिशत राशि रु. 1,40,000/- अमानत राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के भाग देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय तक अधीक्षक मानसिक विमंदित गृह जामडोली जयपुर में जमा करवानी होगी। बिना अमानत राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। नकद राशि स्वीकार नहीं होगी।
25. असफल निविदादाताओं को अमानत राशि एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) लिखित आवेदन पर वापस कर दी जायेगी।
26. अमानत राशि का समपहरण अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा:—  
 I जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।  
 II जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।  
 III जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।  
 IV जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

v यदि निविदा प्रस्तुत करने वाला अधिनियम और नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट निविदा प्रस्तुत करने वालों के लिये विहित सत्य निष्ठा की सहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

27. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:-

i सफल निविदादाता को कार्य आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 5000 /-रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा प्रस्तुत निविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि कार्यदेश की तिथि के 7 दिवस के भीतर जमा करा नी होगी।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में अमानत राशि से कम की नहीं होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर के नाम देय होगी। प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-

(क) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदों प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत याजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई रिस्क्रेट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जायेगा। यह pledge की हुई होनी चाहिए।

28. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगा :-

i जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

29. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्पस लगाने तथा प्रतिभूति राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग का करार की एक निष्पादित स्टाम्प शूद्ध प्रतिपडत निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

30. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता इस आशय का प्रमाण पत्र, टेलीफोन संंबर एवं व्यक्तिगत पहचान।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

31. प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

32. भुगतान:- भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

33. फर्म / संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। फर्म को अगले माह का भुगतान, गत माह के भुगतान मय पीएफ, ईएसआई एवं एस.टी.जमा कराने की रसीद / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। संवेदक



- को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चयन करना होगा। इसके लिये वह व्यक्तिश जिम्मेदार होगा। अतः संवेदक फर्म वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए ही अपनी दरें प्रस्तुत करें।
34. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे। फर्म को नियमानुसार सर्विस टैक्स स्वयं ही जमा कराना होगा।
35. न्यूनतम मजदूरी/ पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ संवेदक की है तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मागें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। भुगतान उपलब्ध कराये गये केयर टेकर की संख्या के अनुसार किया जावेगा।
36. **परिनिर्धारित क्षति:-** निविदा प्रपत्र में आपूर्ति अवधि के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता को आवासियों के केयर टेकिंग के प्रभावी नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में केयर टेकर से केयर टेकिंग का कार्य करवाना होगा। किसी केयर टेकर की अनुपस्थिति की स्थिति में तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर अधीक्षक अपने स्तर पर निविदादाता की रिस्क एवं कोस्ट पर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगी। निर्धारित समय के विलम्ब/अनुपस्थिति पर राशि रूपये 200/-प्रति केयर टेकर प्रति दिन की दर से परिनिर्धारित क्षति देय होगी।
37. **वसूली:-** अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/ उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 2000/- की कटौती एक बार में की जावेगी।
38. **अन्य:-** ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने /कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त करली जायेगी।
39. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
40. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
41. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।
42. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
43. निविदा के साथ वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।
44. प्राप्त निविदाएं मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, केम्बे गोल्फ होटल के सामने, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
45. तकनीकी/वित्तीय निविदा अलग-2 फोल्डर में अपलोड की जावें। किसी भी रूप में एक फोल्डर में नहीं होवे।
46. निविदा में निविदा का/ अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल नं. तथा इमेल एड्रेस दिया जाना आवश्यक होगा।
47. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी सहमति के रूप में डिजिटल सिग्नेचर करने आवश्यक होगा।
48. निविदादाता फर्म का गत एक वर्ष का कार्मिक आपूर्ति का वार्षिक टर्नऑवर न्यूनतम 3500000/-पैतीस लाख रूपये होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण स्वरूप चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा टर्नऑवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

49. निविदा की अवधि नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा दिनांक 28.02.2018, जो भी पहले हो तक होगी। उक्त ठेके की अवधि बढ़ाई व कम की जा सकती है ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही शर्तों एवं दसों पर बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। वर्तमान में वित्त विभाग से दिनांक 28.02.2017 तक के लिये उक्त कार्य जॉब वर्क के आधार पर कराने के लिए सहमति प्राप्त है। जिसकी दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ने की प्रत्याक्षा है। अतः इसी संभावना में स्वीकृति /सहमति प्राप्त होने पर ही कार्यादेश 01.03.2017 से 28.02.2018 तक कराया जाना प्रस्तावित है।  
भविष्य में वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार ही जॉब वर्क कराया जा सकेगा।
50. संवेदक द्वारा केयर टेकिंग के कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये कार्मिकों द्वारा यदि गृह की सामग्री काम में लिये जाने पर वसूली योग्य होगी।  
उपरोक्त कार्य संबंधी शर्तें, मैनें पढ़ ली है, ओर स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

## निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मामलों सामानों/उपकरणों/सेवाओं के लिये निविदा दी है उनका/उनके/ मैं बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय विपणन एजेंट/ व्यवसायी हूँ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत किया जा सकता तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

**राजस्थान सरकार**  
**अधीक्षक, मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह**  
**जामडोली केम्बे के सामने आगरा रोड जयपुर**

क्रमांक

दिनांक

**ई निविदा विवरण**

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों की निम्न सेवा के लिये ई निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	अमानत राशि	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा अपलोड करने की दिनांक	ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	7/2017 18	लगभग 200 मानसिक विमदित आवासियों की 24 घन्टे देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिंग का कार्य	12 माह लगभग	70,00,000 /-	1,40,000 /-	20.02.2017 को 3.00 PM तक डाउन लोड एवं 4.00 PM तक अपलोड कराने की तिथि	दिनांक 21.02.2017 को 11.00 AM पर खोली जायेगी	400 /-


शर्त:- 1. बिड प्रपत्र उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउन लोड एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक अपलोड किये जा सकते हैं।

2. जो निविदाकार इस ई-निविदा (e-TENDER) में भाग लेना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम वेबसाईट पर <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Aet 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट लेना होगा। निविदाकार किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. ( Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन निविदाकारों के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

3. बिडदाता द्वारा बिड शुल्क, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क, अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट (पृथक-पृथक) भौतिक रूप से कार्यालय अधीक्षक, मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, केम्बे गोल्फ होटल के सामने आगरा रोड जयपुर में निर्धारित तिथि 20.02.2017 को सांयकाल 4:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. बिड शुल्क, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क, अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक भौतिक रूप से इस कार्यालय में निर्धारित समय तक जमा कराने वाले बिडदाताओं की तकनीकी बिड (Technical bid) इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर कार्यालय अधीक्षक, मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, केम्बे गोल्फ होटल के सामने आगरा रोड जयपुर में निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। सफल तकनीकी निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना ईमेल द्वारा दी जायेगी।
6. बिडदाता द्वारा उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर के नाम दिया जाना होगा।
7. निविदा फार्म शुल्क के अतिरिक्त ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क रूपये 1000/-रु डी.डी. के रूप में M.D.,RISL, jaipur के नाम दिया जाना होगा।
8. कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिक जमा कराने में किसी भी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
9. बिडदाता को बिड प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में डिजिटल साईन में प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर में नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों में वाछित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है, अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. तकनीकी रूप से दस्तावेजों के जांच के उपरान्त फर्मों का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा कराया जा सकता है।
12. किसी भी बिड का स्वीकार करने एवं निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
13. बिड से संबंधित समस्त विवरण राज्य उपापन पोर्टल [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) विभागीय पोर्टल [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in), एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
14. निविदा प्रपत्र शुल्क, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क एवं अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक (पृथक-पृथक बने हो) बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा। तथा निर्धारित समय तक पूर्ण रूप में कार्यालय अधीक्षक महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में जमा कराना होगा। अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।



अधीक्षक  
मानसिक विमंदित महिला एवं  
बाल कल्याण पुनर्वास गृह  
जामडोली जयपुर